पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक-27.12.2024

जोन-उत्तरी/थाना विकासनगर

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तों/अराजक तत्वों को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26/12/2024 को वादी अशोक कुमार वाल्मिकी उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र पुत्ती लाल वाल्मिकी निवासी सबौली गाँव झोपड़ पट्टी में निकट सब्जी मंडी टेढ़ीपुलिया विकासनगर थाना विकासनगर लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्तो 01-दीपक वाल्मिकी पुत्र राजू वाल्मिकी उम्र करीब 26 वर्ष 02-राहुल वाल्मिकी पुत्र राजू वाल्मिकी उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण सबौली गाँव झोपड़ पट्टी में निकट सब्जी मंडी टेढ़ीपुलिया विकासनगर थाना विकासनगर लखनऊ के विरूद्ध मु0अ0सं0 224/2024 धारा 115(2)/118(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा के साथ दिनांक 26/12/2024 को वादी मुकदमा के साथ मारपीट की गयी जिसमें वादी को गम्भीर चोट आयी और आज दिनांक 27.12.2024 को पुनः अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा के साथ आमादा फसाद होने लगे, संज्ञेय अपराध की घटना को रोकने व लोक शांति को कायम रखने हेतु अराजकतत्वों कोसबौली गाँव झोपड़ पट्टी में निकट सब्जी मंडी टेढ़ीपुलिया विकासनगर थाना विकासनगर लखनऊ से समय करीब 11.15 बजे अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मेंआवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्तों/अराजकतत्वों को सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण/ नाम पता व्यवसायः-

1. दीपक वाल्मिकी पुत्र राजू वाल्मिकी उम्र करीब 26 वर्ष (व्यवसाय - मजदूरी)
2. राहुल वाल्मिकी पुत्र राजू वाल्मिकी उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण सबौली गाँव झोपड़ पट्टी में निकट सब्जी मंडी टेढ़ीपुलिया विकासनगर थाना विकासनगर लखनऊ (व्यवसाय- मजदूरी)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, थाना विकासनगर, लखनऊ
2. हे0का0 अनुज कुमार, थाना विकासनगर, लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक-27.12.2024

जोन- दक्षिणी/ थाना सरोजनीनगर

- **शादी का झाँसा देकर वादिनी/पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.12.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा उपस्थित थाना आकर नामित अभियुक्त मनीष शुक्ला पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला नि0 ग्राम नरायनपुर सरैया पोस्ट रानीगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ हाल पता किराये का मकान धीरेन्द्र केसरबानी निवासी अर्जुनगंज अहमामऊ थाना सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झाँसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा बाद में शादी करने से मना कर देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना अंकित करायी। दाखिला प्रा0पत्र आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 515/2024 धारा 69/351(2) बीएनएस बनाम मनीष शुक्ला उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना वरि0उ0नि0 श्री हरद्वारी लाल को सुपुर्द की गयी। जिसके थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना तन्त्र के माध्यम से दिनांक 26.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त में नामित 01 वांछित अभियुक्त मनीष शुक्ला पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला नि0 ग्राम नरायनपुर सरैया पोस्ट रानीगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ हाल पता किराये का मकान धीरेन्द्र केसरबानी निवासी अर्जुनगंज अहमामऊ थाना सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष क्रोमा इलेक्ट्रानिक शोरूम थाना क्षेत्र कृष्णानगर से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01-मनीष शुक्ला पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला नि0 ग्राम नरायनपुर सरैया पोस्ट रानीगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ हाल पता किराये का मकान धीरेन्द्र केसरबानी निवासी अर्जुनगंज अहमामऊ थाना सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष ।

अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 515/2024 धारा 69/351(2) बीएनएसथाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ ।

गिरफ्तार करने वाली थाना सरोजनीनगर पुलिस टीमः-

01-वरि0उ0नि0 श्री हरद्वारी लाल थाना सरोजनीनगर,लखनऊ ।

02-उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना सरोजनीनगर,लखनऊ ।

03-उ0नि0यूटी श्री चन्दन यादव थाना सरोजनीनगर , लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक-27.12.2024

जोन-पूर्वी/ थाना-पी0जी0आई

- **02 शातिर चोर/अभियुक्तों को चोरी की बैटरी के साथ किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर वादी श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राजकुमार निवासी ग्राम सब्जी पोस्ट कुर्री सुदौली थाना बछरावाँ जनपद रायबरेली की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के देखभाल करने वाली ट्रक सं0 UP32KN1603 एक्साईड कम्पनी की बैटरी चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर दिनांक 26.12.2024 को मु0अ0स0 842/24 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार द्वारा की जा रही थी जिसमें माल मुल्जिम की तलाश व मुखबिर खास सूचना पर गोवर्धन एन्कलेव के पीछे सेक्टर 20 वृन्दावन योजना के पास थाना पीजीआई से 02 शातिर चोर/ अभियुक्तों 01-मुकेश कुमार उर्फ बुट्टा पुत्र स्व0 बुद्धी लाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई लखनऊ 02-अमन वाल्मीकि पुत्र स्व0 दिनेश उम्र करीब 24 वर्ष हैवतमऊ मवैया पानी की टंकी के पास थाना पीजीआई लखनऊ को दिनांक 26.12.2024 को गिरफ्तार करते हुए, अभियुक्तो के कब्जे से 01 अदद बैटरी एक्साईड कम्पनी की बरामद कर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही कि जा रही है

अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मुकेश कुमार उर्फ बुट्टा पुत्र स्व0 बुद्धी लाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई लखनऊ
2. अमन वाल्मीकि पुत्र स्व0 दिनेश उम्र करीब 24 वर्ष हैवतमऊ मवैया पानी की टंकी के पास थाना पीजीआई लखनऊ

पंजीकृत/ अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 842/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

बरामद माल का विवरण -

- 01 अदद बैटरी एक्साईड कम्पनी की

अभियुक्त मुकेश कुमार उर्फ बुट्टा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 335/2023 धारा 380 भादवि थाना आशियाना लखनऊ
2. मु0अ0सं0 301/2023 धारा 380/411 भादवि थाना आशियाना लखनऊ
3. मु0अ0सं0 338/2023 धारा 379/411 भादवि थाना आशियाना लखनऊ
4. मु0अ0सं0 87/2024 धारा 25/9 आयुध अधिनियम थाना पीजीआई लखनऊ
5. मु0अ0सं0 262/2023 धारा 147/323/324 भादवि0 थाना पीजीआई लखनऊ

अन्य मुकदमे की जानकारी अलग से की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक-27.12.2024

जोन- दक्षिणी /थाना निगोहां

- **हिन्दू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.12.2024 को सोशल मीडिया ट्वीटर/एक्स पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ओम प्रकाश गौतम द्वारा वीडियों में हिन्दू देवी देवताओं पर बहुत ही अमर्यादित अशोभनीय व गन्दी/भद्दी टिप्पणी की गई है जिससे समाज में अशान्ति का माहौल बन जाने तथा आम जनमानस में भयंकर रोष व्याप्त होने के कारण थाना निगोहाँ क्षेत्र निवासी भवरेश्वर चौरसिया द्वारा थाना स्थानीय पर एक किता प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके आधार पर मु0अ0सं0 242/2024 धारा 299 बीएनएस व 66 आईटी एक्ट बनाम ओम प्रकास गौतम पुत्र स्व0 पुखई गौतम निवासी ग्राम मीरकनगर उम्र करीब 55 वर्ष पंजीकृत किया गया है।

मुकदमा उपरोक्त में नामित अभि0 ओम प्रकाश गौतम को हिन्दू देवी देवताओं पर बहुत ही अमर्यादित अशोभनीय व गन्दी/भद्दी टिप्पणी करने जिससे समाज में अशान्ति का माहौल बन जाने व आम जनमानस में भयंकर रोष व्याप्त होने के कारण तथा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत थाना स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। अभियुक्त ओम प्रकाश गौतम उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-ओम प्रकाश गौतम पुत्र स्व0 पुखई गौतम निवासी ग्राम मीरकनगर उम्र करीब 55 वर्ष

अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 242/2024 धारा 299 बीएनएस व 66 आईटी एक्ट थाना निगोहाँ लखनऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 श्री अमित कुमार वर्मा थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखनऊ

2.का0 अरविन्द पटेल थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक-27.12.2024

जोन-दक्षिणी/ थाना-बन्थरा

- **पानी की सिंचाई के डीजल इंजन पम्प चोरी करने वाले 04 शातिर चोरों/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24/25-12-2024 की मध्य रात्रि ग्राम बीबीपुर थाना क्षेत्र बंथरा में वादी मुकदमा कमलेश चौरसिया व गांव के अन्य लोगो के कुल 04 डीजल इंजन पम्प जिन्हे खेतों पर सिंचाई के लिये प्रयोग मे लाया जाता है, अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिये गये। जिसके पश्चात वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 26.12.24 को थाने पर मु0अ0स0 435/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ।

जिसकी विवेचना उ0नि0 साजिद शाह द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 27.12.24 को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 04 शातिर चोरों/अभियुक्तों 01-दीपू चौरसिया पुत्र तेजनरायण चौरसिया नि0 ग्राम बीबीपुर थाना बन्थरा लखनऊ 02-साहिल रावत पुत्र बेचालाल नि0 ग्राम बीबीपुर थाना बन्थरा लखनऊ 03-मुस्तकीम शेख पुत्र कालेमास्टर नि0 ग्राम मोहल्ला बिरामपुर कस्बा थाना श्योहरा जनपद बिजनौर हाल पता बद्री नगर नादरगंज थाना सरोजनीनगर लखनऊ 04-इमरान अंसारी पुत्र इबरार अंसारी नि0 ग्राम 582/1302 बदालीखेड़ा थाना सरोजनीनगर लखनऊ के कब्जे से चोरी गये 04 अदद खुले हुये डीजल इंजन पम्प व 2,000/- रूपये नगद बरामदगी की गयी तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार कर नियामानुसार कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)/317(4) बी.एन.एस. की बढोत्तरी कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता–

1. दीपू चौरसिया पुत्र तेजनरायण चौरसिया नि0 ग्राम बीबीपुर थाना बन्थरा लखनऊ उम्र 33 वर्ष,
2. साहिल रावत पुत्र बेचालाल नि0 ग्राम बीबीपुर थाना बन्थरा लखनऊ उम्र 19 वर्ष,
3. मुस्तकीम शेख पुत्र कालेमास्टर नि0 ग्राम मोहल्ला बिरामपुर कस्बा थाना श्योहरा जनपद बिजनौर हाल पता बद्री नगर नादरगंज थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र 40 वर्ष,
4. इमरान अंसारी पुत्र इबरार अंसारी नि0 ग्राम 582/1302 बदालीखेड़ा थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र 24 वर्ष,

अनावरित/ पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 435/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बी.एन.एस. थाना बंथरा लखनऊ,

अभियुक्त दीपू चौरसिरया उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 288/2021 धारा 323/504/506 आई.पी.सी. थाना बंथरा लखनऊ।

नोट:-अन्य अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 04 अदद सिंचाई मे प्रयुक्त होने वाले डीजल इंजन पम्प (खुले हुये अवस्था में)
- नगद 2,000/- रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 साजिद शाह थाना बंथरा लखनऊ
2. उ0नि0 हरिश्चन्द्र थाना बंथरा लखनऊ
3. उ0नि0 हरेन्द्र यादव थाना बंथरा लखनऊ
4. उ0नि0 कृष्ण मुरारी पटेल थाना बंथरा लखनऊ
5. उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना बंथरा लखनऊ